राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

ई–मेलः– nssrmpssuniversity@gmail.com फोन न.0 :– 7302632938

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 / एन0 एस0 एस0 / 58 / 2023 दिनांकः– 18 अप्रैल, 2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक
राजकीय / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

विषय– वित्तीय 2023–24 राष्ट्रीय सेवा योजना की नवीन इकाई के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक में शासन के पत्र संख्या –78 सत्तर– रा0 से0 यो0 को 2023 दिनांक 02 / 03 / 2023 शासनादेश संख्या – 189 / सत्तर – रा0 से0 यो0 का 2 एवं संख्या – 196 / सत्तर –रा0 से0 यो0 को0 – 2022 27–06–2022 तथा शासनादेश संख्या –140 / सत्तर रा0 से0 यो0 कोष्ठक– 2023 दिनांक 05 अप्रैल 202 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की नवीन इकाई के गठन हेतु प्रस्ताव दो कार्य दिवस में (20 अप्रैल, 2023 तक) भेजने का कष्ट करें , जिससे शासन को ससमय सूचना भेजी जा सके।

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इस प्रस्ताव के साथ अपने महाविद्यालय का स्थायी सम्बद्धता का पत्र भी अवश्य संलग्न करें।

भवदीया,

(प्रो0 नीता वार्ष्णेय)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना,
आर0एम0पी0यू0, अलीगढ़

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
02. कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
03. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उ0 प्र0 शासन।
04. गार्ड फाइल।

(प्रो0 नीता वार्ष्णेय)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना,
आर0एम0पी0यू0, अलीगढ़

महत्वपूर्ण / समयबद्ध महत्वपूर्ण

अनुस्मारक

संख्या–122 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2023–21 / 2017

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– कुलसचिव,
राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

3– निदेशक,
प्राविधिक पालिटेक्निक परिसर, कानपुर।

4– उप शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग **लखनऊ: दिनांक** 28 **मार्च, 2023**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्र संख्या आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–78 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2023 दिनांक–02.03.2023 शासनादेश संख्या–189 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2015 दिनांक–26.08.2015 एवं संख्या–196 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2022 दिनांक–27.06.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्र संख्या आवंटन हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) मण्डल उत्तर प्रदेश तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों द्वारा पारदर्शिता की दृष्टि से प्रस्तावों को गठित समिति के परीक्षणोंपरान्त संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को हार्ड कापी एवं शासन के ई–मेल आई0डी0– snoupnss@gmail.com पर वर्ड फाइल मे उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्र संख्या आवंटन के प्रस्तावों को गठित समिति से संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को दिनांक–25.03.2023 तक मांगी गयी थी जो अभी तक अप्राप्त है। यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्र संख्या समयान्तर्गत आवंटित किये जाने हेतु शासन को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या–122(1)/सत्तर–रा0से0यो0को0–2023,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

2– निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

3– संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्राविधिक शिक्षा), से सम्बन्धित समस्त जोन को इस आशय से प्रेषित कि छात्र संख्या आवंटन हेतु 2023–24 के प्रस्ताव को अपने स्तर से पॉलीटेक्निक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग रा0से0यो0, अनुभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

5– क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

डॉ0 (सुनीता गुप्ता)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या–189/सत्तर–रा0से0यो0को0–2015

प्रेषक,

ए0के0 गोयल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–कुलसचिव,
राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0
2–कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0
3–उप शिक्षा निदेशक,
(समस्त मण्डल), माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0।
4–क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग लखनऊ: दिनांक26अगस्त, 2015

विषय:–राष्ट्रीय सेवा योजना की नई इकाइयों के आवंटन के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित नई इकाइयों के आवंटन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित इकाइयों की संख्या का स्थिरीकरण कर दिया गया है एवं एन0एस0एस0 की गतिविधियों की मासिक आख्या ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। शासन द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। अतः इकाइयों के प्रस्तावों के आवंटन से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें:–

(1) विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 5 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।

(2) एक बार आवंटन किये जाने पर भविष्य में इकाइयों की उपलब्धता के आधार पर ही पुरानी कार्यरत इकाइयों का आवंटन/इकाइयाँ बढ़ाना सम्भव होगा।

(3) भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक/वार्षिक रिपोर्टिंग ई–मेल/डाक के माध्यम से एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन व क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 25 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक व साफ्ट कापी शासन को प्रेषित करना अनिवार्य है

(5) कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा उतनी ही इकाइयाँ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाय जितनी काटने की संस्तुति की गयी है। इकाई काटने की संस्तुति का तार्किक आधार होना चाहिए।

(6) इकाइयों की गतिविधियों के आधार पर इकाइयाँ काटने एवं महाविद्यालयों/विद्यालयों को नोटिस जारी कर शासन को सूचित किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम समन्वयक/उप शिक्षा निदेशक/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक उन्हीं महाविद्यालयों/विद्यालयों के प्रस्ताव नई इकाइयों हेतु अग्रसारित करें जिनको पूर्व का समाज सेवा का पर्याप्त अनुभव हो। इस हेतु आवंटन प्रस्ताव के साथ विगत 03 वर्षों की गतिविधियों के संबंध में आख्या तथ्यों सहित संलग्न होना आवश्यक है। यथा:–

- महाविद्यालय द्वारा आयोजित रक्तदान शिविरों की संख्या एवं शिक्षक, छात्र–छात्राओं द्वारा किये गये वास्तविक रक्तदान यूनिट्स की संख्या (पुष्टि हेतु ब्लड–बैंक का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों का योगदान जैसे–समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्याधन, बालिका समृद्धि, जननी सुरक्षा, किसान पेंशन, आर0टी0ई0 के तहत गरीब बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, साक्षरता, क्लीन एण्ड ग्रीन यू0पी0, जल संरक्षण, मतदाता जागरूकता अभियान, वृद्धों, महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के लिये किये गये कार्य (पुष्टि हेतु फोटोग्राफ, न्यूज पेपर कटिंग एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।
- संस्था के प्राचार्य का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि एन0एस0एस0 को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करायेंगे एवं प्रशिक्षण/शिविरों/नियमित कार्यक्रमों हेतु कार्यक्रम अधिकारियों को नियमित रूप से भेजेंगे। प्रमाण–पत्र में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि गतिविधियों के संबंध में प्रदत्त की गयी जानकारी पूर्णतया सत्य है और यदि यह गलत पायी जाती है तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
/
(ए0के0 गोयल)
संयुक्त सचिव।

संख्या–189(1)/सत्तर–रा0से0यो0को0–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. डा0 अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवां तल, हाल नं0–1 सेक्टर–एच0 अलीगंज, लखनऊ
2. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा0से0यो0, सेंट जान्स कालेज, आगरा।
3. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा0से0यो0, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
4. निदेशक, इण्डियन लिटरेसी बोर्ड (इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र), लिटरेसी भवन, मानकनगर, कानपुर रोड, लखनऊ
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

समयबद्ध महत्वपूर्ण

संख्या–196/सत्तर–रा0से0यो0को0–2022–21/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– कुलसचिव,
राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) मण्डल
राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग **लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2022**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्र संख्या आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–184/सत्तर–रा0से0यो0को0–2022 दिनांक–21.06.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत पारदर्शिता की दृष्टि से छात्र संख्या आवंटन हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व प्रस्तावों के परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय/मण्डल स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:–

(1) विश्वविद्यालय स्तर पर–

1.	**कार्यक्रम समन्वयक**	**संयोजक**
2.	**क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी**	**सदस्य**
3.	**कुलपति द्वारा नामित वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी**	**सदस्य**

(2)माध्यमिक मण्डल स्तर पर–

1.	**उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक)**	**संयोजक**
2.	**क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी**	**सदस्य**
3.	**संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा नामित राजकीय इण्टर कालेज के प्राचार्य**	**सदस्य**

2– उपरोक्तानुसार गठित समितियों से राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्र संख्या आवंटन के प्रस्तावों का परीक्षण कराते हुए समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को दिनांक–15.07.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– शासन को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में इस तथ्य का उल्लेख अवश्य किया जाय कि प्रस्ताव गठित समिति के परीक्षणोंपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–196(1)/सत्तर–रा0से0यो0को0–2022,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

2– संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उ0प्र0।

3– कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।

5– भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग रा0से0यो0, अनुभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

6– क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ब्रह्मदेव)
संयुक्त सचिव।